

an>

Title: Need to instruct NGT to withdraw the decision to accept the petition in English languages only.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : माननीय अध्यक्ष जी, एनजीटी ने फैसला लिया है कि अब सारी पेटिशन अंग्रेजी में स्वीकार की जाएंगी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि यह संविधान की भावना के प्रतिकूल है और राजभाषा, जिसके लिए सदन और सरकार हमेशा प्रतिबद्धता दिखाती रही है, उसके भी विरुद्ध है। ... (व्यवधान)
एनजीटी न सिर्फ राजभाषा में काम करे बल्कि स्थानीय भाषाओं को भी अनुमति देनी चाहिए, न कि उसे यह कहना चाहिए कि सिर्फ अंग्रेजी में पेटिशन सुनी जाएंगी। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि एनजीटी से इस बारे में संवाद करे कि वह राजभाषा को ध्यान में रखे और स्थानीय भाषा में पेटिशन स्वीकार करे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष:

श्री रवीन्द्र कुमार जेना,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री निशिकान्त दुबे,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री गोपाल श्रेठी,

डॉ. किरीट पी. सोलंकी और

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय सदस्य प्रहलाद पटेल जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं इस विषय में उनकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाएं जोड़ते हुए सहयोग प्रदान करता हूँ। ... (व्यवधान)